

36

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर सर्किल कोर्ट रीवा म. प्र.



R 53023/16

Rs. 30/-

श्रीमती राजकली मिश्रा पति नरेन्द्र मिश्रा, निवसी ग्राम अकौरी, तह. सिरमौर, जिला- रीवा म. प्र. ----- निगरानीकर्ता

बनाम

- 1- रामसखा तनय चन्द्रभान पाठक निवासी ग्राम पोखडौर, तह. मनगवा, जिला- रीवा म. प्र.
- 2- मिथिला प्रसाद तनय स्व. चन्द्रभान पाठक निवासी ग्राम पोखडौर, तह. मनगवा, जिला- रीवा म. प्र. ----- गैरनिगरानीकर्तागण

श्री. प्र. घोषी
जावेद
08-7-16
[Signature]

यह निगरानी न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी, तह. मनगवा, जिला- रीवा म. प्र. के प्रकरण क्रमांक 33 ए 6/2015-16 आदेश दिनांक 16.6.16 के विरुद्ध पेश की जा रही है।

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म. प्र. भू-रा. संहिता

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं:-


- 1- यह कि अधीनस्थ न्यायालय का प्रश्नाधीन आदेश विधि व प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यहकि भू-खसरा क्रमांक 119 रकबा 0.918 हे. स्थित ग्राम पोखडौर, प. ह. घोपी, तह. मनगवा, जिला रीवा म. प्र. अनावेदक मिथिला प्रसाद

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

मामला क्र०-R.5302-II/16

जिला-रीवा

राजकली मिश्रा/रामसखा पाठक

(1)	(2)	(3)
21.03.17	<ol style="list-style-type: none">1. प्रकरण प्रस्तुत।2. आवेदक तथा उनके अधिवक्ता की पुकार करायी गयी किन्तु सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है।3. चूकि आवेदक तथा अभिभाषक सूचना उपरांत उपस्थित नहीं है। अतः संहिता की धारा-35(2) के तहत प्रकरण अदम पैरवी में खारिज किया जाता है।4. आदेश की प्रति के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड वापस किया जाये, तत्पश्चात प्रकरण पंजी से समाप्त होकर दा.द. हो। <p style="text-align: right;"> सदस्य</p>	